Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र
8-1-20	वकालतनामा मरीकेन उप0/रेस्पो0 सं0 1 की ओर से श्री योगेन्द्र शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश किया। अपीलांट एवं वकील रेस्पो0 ने इसी स्तर पर निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 सं0-1 ने जाहिर किया कि विवाद केवल अपीलांट एवं रेस्पो0 सं0 1 के मध्य ही विवाद है। शेष रेस्पो0 के मध्य कोई विवाद नहीं है। उभयपक्षों के वकीलों ने अपील को रिमाण्ड करने की सहमति दी है। अतः दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय एवं डिक्री दि0 21-6-2018 को खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाता है कि वह उभयपक्षों को साक्ष्य संयुक्त पेश करने का अवसर देकर अपना निर्णय पुनः पारित करे। पत्रावली बाद तामील नकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)